भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 2140

उत्‍तर देने की तारीख : 12 मई, 2016

**दूरस्थ शिक्षा को ‘इग्नू’ से यू॰जी॰सी॰ को हस्तांतरित किया जाना**

**2140. श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार हाल तक दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चला रहा था;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम में संशोधन किए बिना कार्यकारी आदेश के जरिए दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को इग्नू से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰जी॰सी॰) को हस्तांतरित किए जाने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार देश में दूरस्थ शिक्षा को चलाने के लिए एकल विधान लाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): जी, हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने उच्चतर शिक्षा प्रणाली में मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) शिक्षा नियमित करने के लिए इग्नू अधिनियम, 1985 की संविधि 28 के तहत तत्कालीन दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) का सृजन किया था। एक विश्वविद्यालय अन्यों को निगमित करते रहने से अन्य बातों के साथ-साथ हितों का टकराव उत्पन्न हो गया था और इसलिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रो. एन. आर. माधव मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो इनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दे। तदनुसार, माधव मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर इग्नू अधिनियम की संविधि 28 और विजिटर के अनुमोदन से प्रबंधन बोर्ड और तत्कालीन डीईसी के संकल्पों को निरस्त कर दिया गया था और दिनांक 1 मई, 2013 की अधिसूचना से विश्वविद्यालय द्वारा तत्कालीन डीईसी को भंग कर दिया गया था।

(ग): वर्तमान में, केन्द्रीय सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा का काम करने के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकारी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जो कि औपचारिक पद्धति में उच्चतर शिक्षा के लिए एक विनियामक है, मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) शिक्षा के विनियामक कार्य को भी देख रहा है।

\*\*\*\*\*\*